अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प.19(2)चिस्वा/2/2009/9310–12056 दिनांक 21.10.2010

परिपत्र

इस विभाग के सम संख्यक परिपत्र क्रमांक 465 से 2543, दिनांक 26.04.2010 के द्वारा बीपीएल सूची से बाहर अंत्योदय अन्न योजना (राजस्थान सरकार) में चयनित सहरिया परिवारों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना से लाभ दिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में **कथौड़ी जनजाति** के परिवारों को भी मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

अंत्योदय अन्न योजना (राजस्थान सरकार) में चयनित सहरिया परिवारों (किशनगढ़ एवं शाहबाद जिला बारां) एवं कथौड़ी जनजाति के परिवारों की महिलाओं को बीपीएल महिलाओं की तरह घरेलु प्रसव होने पर ₹500 की राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जावेगी। इसके अतिरिक्त उक्त सहरिया परिवारों एवं कथौड़ी जनजाति के परिवारों की महिलाओं को राज्य सरकार के पूर्व आदेश क्रमांक पीएस/पीएचएस/2009/59, दिनांक 28.02.2009 के अनुसार ही राजकीय चिकित्सालय में प्रथम प्रसव होने पर 5 लीटर सरस घी उपहार स्वरुप भी उपलब्ध करवाया जावेगा।

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/नागरिक आपूर्ति/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. मिशन निदेशक, एनआरएचएम/परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. निदेशक, (जन स्वास्थ्य/प0क0/एड्स/आईईसी)/परियोजना निदेशक (एमएमजेआरके/ एनआरएचएम)।
11. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप – 2 एवं 5) शासन सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल राजस्थान।
13. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
14. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/जिला/सैटेलाईट/उपखण्ड चिकित्सालय।
17. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
18. समस्त प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
19. समस्त प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र।
20. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम।
21. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्बन्धित को ई-मैल करवाने का श्रम करें।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन